



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

<p> सर्व सिद्धा अभियान सद्य पठे सद्य धरे</p> <p>दूरभाष/ Telephone : 0612-2565756</p> <p>फैक्स/Fax : 0612-2565265</p> <p>E-mail : bihar.gdc soi@gov.in</p>		<p>निदेशक का कार्यालय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र Office of the Director, Bihar Geo-spatial Data Centre सातवीं मंजिल (ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी') कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर 7th Floor (Block 'A', 'F' and 'G') Karpuri Thakur Sadan, Kendriya Karyalaya Parisar आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025 Ashiyana-Digha Road, Patna-800025</p>
सं.- 421 /37-जी-6		दिनांक: 0/ अप्रैल, 2019

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं.- 01 /37-जी-6, दिनांक 01 /04/2019

1. अस्थायी ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित), ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस.) स्थापना के कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना:-

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' स्थापना के निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक की अवधि के लिए अथवा ऐसे अन्य आदेश जारी किए जाने तक जो भी पहले हो निरन्तर सेवा की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सर्वेक्षक	04	लेवल-6
2.	प्रवर श्रेणी लिपिक	02	लेवल-4
3.	खलासी	03	लेवल-1

(i) ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित)

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कुमारी) व पदनाम	अभ्युक्तियाँ
1.	रवि कुमार शर्मा, सर्वेक्षक	अस्थायी
4.	रुबी कुमारी, सर्वेक्षक	अस्थायी
2.	पंकज कुमार, सर्वेक्षक	अस्थायी
3.	सुरज कुमार मूर्मू, सर्वेक्षक	अस्थायी

(ii) ग्रुप 'सी' मिनिस्टीरियल

क्रम सं.	नाम व पदनाम	अभ्युक्तियाँ
1.	श्री अमित कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	अस्थायी
2.	श्री शशि कांत कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	अस्थायी

(iii) ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस.)

क्रम सं.	नाम व पदनाम	अभ्युक्तियाँ
1.	श्रीमती संगीता देवी पत्नी स्व. कमल राम, एम.टी.एस.	अस्थायी
2.	श्रीमती अनिता देवी, पत्नी स्व. आदित्य राम, एम.टी.एस.	अस्थायी
3.	श्री सुधाकर कुमार, आत्मज कपिलदेव सिंह, एम.टी.एस.	अस्थायी

2. पदोन्नति पर स्थानान्तरण:-

(i) स्थानान्तरण पर आये

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती किया गया है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तिथि (कार्यग्रहण की तिथि)	टिप्पणी
1.	श्री अनिल कुमार, सर्वेक्षक	झारखंड जी.डी.सी., राँची	बिहार जी.डी.सी., पटना	अधिकारी सर्वेक्षक	12.03.2019	-

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-1035/707, दिनांक 19 फरवरी, 2019

उपरोक्त अधिकारी को पदोन्नति की तिथि से एक माह के अंदर वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर.22(1)(क) (1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा।

उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

यदि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधी मामला हो तब उपरोक्त पदोन्नति अमान्य होगी।

(ii) स्थानान्तरण पर गये

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-1 का पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री शहजाद, सर्वेक्षक	बिहार जी.डी.सी., पटना	असम एवं नागालैंड जी.डी.सी., गुवाहाटी	18.03.2019 (पूर्वाह्न)

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-1035/707, दिनांक 19 फरवरी, 2019

3. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध में:-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.जी.-35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	प्रथम एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	Shri Vikash Kumar Sinha	Surveyor	01.10.2018

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-1379/1902-MACP-I(Surveyor)(Coll.II), दिनांक 26.02.2019

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त अधिकारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0आर0 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

4. पदोन्नति:-

भारत के महासर्वेक्षक के आदेशानुसार निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिक को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल 4 (25500-81100) के वेतनमान में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड) 2017 उत्तीर्ण करने के उपरांत नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	नाम	जिस पद पर पहले कार्यरत थे	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तारीख	टिप्पणी
1.	श्री शशि कांत कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	प्रवर श्रेणी लिपिक	15.03.2019	-

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक स्था.2-1806/725-ट्रिग-एल.डी.सी.ई.(संग्रह 14), दिनांक 15-03-2019.

उपरोक्त कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त मद सं. 1, 2(1), 3 एवं 4 के लिए अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

5. प्रशासन को मजबूत बनाना - 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	Shri Mritunjay Kumar	Officer Surveyor
2.	Shri Raj Kumar	Officer Surveyor

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0सी-1311/854 आर (गजटेड), दिनांक 25.02.2019

6. प्रशासन को मजबूत बनाना - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षण मामले

अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता में गठित पुनरीक्षण समिति ने इस कार्यालय के निम्नलिखित ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस.) कर्मचारियों की उनके द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

1. श्री उपेन्द्र प्रसाद, एम.टी.एस. - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
2. श्री श्रीराम यादव, एम.टी.एस. - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
3. श्री राजेन्द्र पासवान, एम.टी.एस. - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

प्राधिकार:- अपर महासर्वेक्षक पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का पत्र सं. प्रशा.-C-69/11-J-3(RC), दिनांक 20.03.2019

7. सेवानिवृत्ति:-

इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से अपनी सेवा पूरी करने के बाद सेवा-निवृत्त हुए:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	श्री एम. बी. राम, सर्वेक्षण सहायक	28.02.2019
2.	श्री नागेश्वर राम, एम.टी.एस.(दफादार)	28.02.2019

Alok Kumar
02/04/2019
(आलोक कुमार) उप अधीक्षक सर्वेक्षक
निदेशक (सामयिक प्रभार)
बिहार जी.डी.सी., पटना

वितरण:

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल-(admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग(बि.भू.ऑ.के.)/लेखा अनुभाग (बि.भू.ऑ.के.)/गोपनीय अनुभाग(बि.भू.ऑ.के.)।
6. संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाईल